न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, हरदोई।

आत्माराम बनाम लालाराम गुप्ता

दि० 21–08–2019

पत्रावली आज आदेशार्थ हेतु नियत है।

परिवादी द्वारा यह परिवाद विपक्षीगण लालाराम आदि को तलब कर विचारणोपरान्त दण्डित करने के आशय से प्रस्तुत किया गया है।

परिवादी द्वारा प्रार्थनापत्र में संक्षेप में कथन किया गया है कि दिनांक 22–08–2017 को समय करीब 1बजे गाड़ी लेकर माधौगंज जा रहा था। जैसे ही प्रार्थी माधौगंज चौराहा पर पहुंचा पहले से मौजूद विपक्षीगण प्रार्थी को हाथ देकर रूकवाये तो प्रार्थी ने गाड़ी रोक दी जैसे ही प्रार्थी ने गाड़ी रोक उक्त विपक्षीगण प्रार्थी को जातिसूचक गालियां देते हुए लात घूसों से काफी मारा पीटा। शोर पर अन्य लोगों के आ जाने से विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देकर चले गये।

परिवादी द्वारा अपना बयान अन्तर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० के अधीन दर्ज कराया गया, जिसमें उसके द्वारा परिवादपत्र का समर्थन किया गया। परिवादी के द्वारा धारा 202 दं०प्र०सं० में बतौर साक्षी पी०डब्लू० 1 रजनीश एवं पी०डब्लू० 2 सोमेन्द्र को प्रस्तुत किया गया है, जिन्होंने घटना का समर्थन किया।

परिवादी द्वारा बयान अन्तर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० में जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली देना, मारपीट करना एवं जान से मारने की धमकी देना कहा है। इसी प्रकार धारा 202 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत परीक्षित साक्षी पी०डब्लू० 1 रजनीश एवं पी०डब्लू० 2 सोमेन्द्र द्वारा भी परिवादी को जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली देना, मारपीट करना एवं जान से मारने की धमकी देना कहा गया है।

परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवादपत्र एवं बयान अन्तर्गत धारा 200 व 202 दं०प्र०सं० के अधीन प्रस्तुत की गई साक्ष्य से विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा 323, 504, 506 भा०दं०सं० एवं 3(1)(x) एस०सी०/एस०टी० (पी०ए०) एक्ट का अपराध बनता है। ऐसी स्थिति में विपक्षीगण को उक्त अपराध के लिये विचारण हेतु तलब किये जाने का संतोषप्रद आधार है।

आदेश

अभियुक्तगण लालाराम, मुकेश गुप्ता एवं कपिल गुप्ता के विरूद्ध धारा 323, 504, 506 भा०दं०सं० एवं 3(1)(x) एस०सी०/एस०टी० (पी०ए०) एक्ट के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लेते हुए, उन्हें विचारण हेतु तलब किया जाता है। परिवादी एक सप्ताह के अंदर सूची गवाहान दाखिल करे। बाद पैरवी अभियुक्तगण को नियमानुसार समन निर्गत हो। पत्रावली दिनांक 21–9–2019 को वास्ते हाजिरी पेश हो।

(संजीव कुमार सिंह)

विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं

अनुसूचित जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम, हरदोई।